झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–546/2017– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

तरिक वित्तीय
ालाहकार से
पचारिक रूप
े परामर्शित

विषय :– कोनार सिंचाई परियोजना के **लिये रुपये 2176.25 करोड़ (दो हजार एक सौ छियत्तर करोड़** पच्चीस लाख) मात्र के **द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग प्रक्षेत्राधीन हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के ग्राम बनासो के समीप कोनार नदी पर अवस्थित कोनार डैम के भंडारित जल का उपयोग कर सिंचाई हेतु निर्माणाधीन कोनार सिंचाई परियोजना के लिये रुपये 2176.25 करोड़ (दो हजार एक सौ छियत्तर करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस डैम के Backwater दिशा में इन्टेक संरचना एवं नहर प्रणाली का निर्माण कराकर डैम के भंडारित जल का उपयोग कर हजारीबाग, गिरिडीह एवं बोकारो जिले के क्रमशः विष्णुगढ़, बगोदर, डुमरी एवं नावाडीह प्रखण्ड के ग्रामों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कोनार सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 62955.60 हे० है। कोनार डैम से Conservation Storage 1.79 लाख एकड़ फीट पानी लिया जाना है तथा जिसके विरूद्ध तेनुघाट जलाशय योजना से इतनी ही जल की आपूर्ति D.V.C. को की जानी है।

4 इस परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच चैनल 652 मीटर, इनटेक संरचना, टनेल 4317 मीटर, कट एण्ड कवर 2043 मीटर, इसके अतिरिक्त मुख्य नहर की लम्बाई 2287 मीटर, दॉयी शाखा नहर 35.525 कि0मी0, बॉयी शाखा नहर 6.025 कि0मी0, बगोदर शाखा नहर 41.16 कि0मी0, बगरो वितरणी 20.50 कि0मी0 है एवं 29 वितरणियों जिनकी कुल लम्बाई लगभग 260 कि०मी० है, का निर्माण किये जाने का प्रावधान है।

5. इस परियोजनान्तर्गत अबतक कराये गये कार्य निम्नवत् हैं :–

(i) Intake Structure का कार्य 75% कराया गया है।

(ii) निर्माणाधीन टनेल का खुदाई कार्य पूर्ण, टनेल के अन्दर कन्क्रीट बैक फिलींग तथा कन्क्रीट लाईनिंग का लगभग 80% कार्य हो गया है। रिब लगाने का 90% कार्य हो गया है। ये सभी कार्य चल रहे हैं, जिन्हें मार्च 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा।

(iii) टनेल के आगे लगभग 1.75 कि०मी० कट एण्ड कवर का कार्य पूर्ण है, जिसके अन्दर जमा सिल्ट हटाने का कार्य चल रहा है।

(iv) इसके आगे 2.287 कि०मी० नहर के री–सेक्सनिंग का कार्य पूर्ण है।

(v) बांयी शाखा नहर (लम्बाई– 6.025 कि०मी०) का निर्माण कार्य पूर्ण है।

(vi) दांयी शाखा नहर (लम्बाई– 35.575 कि०मी०) में लगभग 18.50 कि०मी० तक का कार्य पूर्ण है।

(vii) बगोदर शाखा नहर (लम्बाई– 41.16 कि०मी०) में 20.00 कि०मी० तक का कार्य लगभग पूर्ण है।

(viii) 308 अदद् संरचना में से 152 अदद् संरचना का निर्माण हो गया है एवं 156 अदद् संरचना का कार्य प्रगति में है।

6. परियोजना का मुख्य कार्य जो किया जाना शेष है :–

(i) दांयी शाखा नहर के कि०मी० 18.50 से कि०मी० 35.575 तक का निर्माण कार्य

(ii) बगोदर शाखा नहर के कि०मी० 20.00 से कि०मी० 41.16 तक का निर्माण कार्य

(iii) शाखा नहरों से निःसृत 29 अदद् वितरणियों में से 5 वितरणियों का कार्य प्रगति में एवं शेष 24 वितरणियों का कार्य कराना अभी बाकी है।

7. इस योजना का मूल प्राक्कलन रू० 11.43 करोड़ का था जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 1197, दिनांक 11.03.1977 के द्वारा प्रदान की गयी थी। योजना का कार्य वर्ष 1978–79 में प्रारंभ किया गया। योजना के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की रू० 348.376 करोड़ के लिये प्रशासनिक स्वीकृति जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–52, दिनांक– 13.01.1999 द्वारा प्रदान की गयी। मार्च 2017 तक इस योजना पर रू० 357.98 करोड़ का व्यय हुआ है।

8. योजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने हेतु राज्य योजना मद से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। योजना पर सितम्बर 2017 तक रू० 406.96 करोड़ का व्यय हुआ है। योजना पूर्ण करने हेतु रू० 2176.248 – 406.96 करोड़ रूपये = 1769.288 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी।

9. इस योजना पर होने वाला यह व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष में प्रावधानित राशि के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(i) मुख्य शीर्ष '4701'– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–64– छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य''। इसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू० 9000.00 लाख एवं

(ii) मुख्य शीर्ष '4701'– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उप शीर्ष–64–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य। इसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू० 5800.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।

10. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग होंगे तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी योजना के लिये कार्यरत सभी कार्य प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता होंगे।

11. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी हजारीबाग, गिरिडीह एवं बोकारो कोषागार तथा तेनुघाट उप कोषागार से की जायेगी।

13. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

15 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

16. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–546/2017– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–546 / 2017– .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग, गिरिडीह एवं बोकारो कोषागार तथा तेनुघाट उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–546 / 2017– 67/17-18 प्र.सी. / राँची, दिनांक 20.12.2017

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 / 2, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट / कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी / कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमण्डल, बगोदर / कोनार नहर प्रमण्डल, बनासो / कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट / ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / उप सचिव (अभियंत्रण) / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2017

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)